

## दिनांक 21.05.2015 को परिषद दिवस में प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रगति आख्या

निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नाम-लखनऊ जोन, मुख्यालय, लखनऊ

(समस्त प्रकरण निस्तारित)

क्रम सं०	आवेदक का नाम, पता एवं पता	शिकायत का विषय	पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का क्रमांक एवं तिथि	निस्तारण हेतु दिया गया समय	कार्य से सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का अभिमत एवं प्रगति की स्थिति	टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित)
1.	श्री दिनेश चन्द्र मिश्र 224/5, दाऊजी मन्दिर, पंजाबी टोला, राजाबाजार, लखनऊ। मो०- 7398069983	आवंटित भवन को कपटपूर्ण ढग से दूसरे व्यक्ति को आवंटित किये जाने के संबंध में।		15 दिन	उप आवास आयुक्त वृन्दावन योजना के पत्रांक 5182 दिनांक 15.06.2016 द्वारा आवास आयुक्त, के निर्णय के उपरान्त भूखण्ड आवंटित किये जाने पर विचार किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।	प्रकरण निस्तारित
2.	श्री अमर सिंह भदौरिया डी-648/9, कमला नगर, आगरा मो० -9412262367	भवन सं०-648/9 एवं 648/10 से लगी अतिरिक्त भूमि के आवंटन के संबंध में।		15 दिन	उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति के पत्रांक 828 दिनांक 29.06.2016 द्वारा अवगत कराया गया कि अवशेष धनराशि को जमा कर रजिस्ट्री सम्बन्धी औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं।	प्रकरण निस्तारित
3.	श्री अजय कुमार 9/346, इन्दिरा नगर, लखनऊ। मो०-9450112945	वर्ष-2006 में पंजीकरण हेतु जमा रु० 56000.00 की वापसी के संबंध में		एक सप्ताह	आवेदक को मय ब्याज सहित जमा धनराशि रु० 58000.00 खाते में स्थानान्तरित कर सूचित कर दिया गया है।	प्रकरण निस्तारित
4.	सुश्री तारा देवी 17/459, इन्दिरा नगर, लखनऊ।	भवन सं०-17/459 पर लगाये गये ब्याज के संबंध में।		07 दिन	सम्पत्ति प्रबन्धक के पत्रांक 3194 दि० 26.10.2015 द्वारा आवेदक को ओ०टी०एस० का लाभ प्राप्त करने हेतु अवगत करा दिया गया है।	प्रकरण निस्तारित
5.	श्री राम चन्द्र 7/165, रजनी खण्ड, शारदा नगर, लखनऊ। मो०-9936710081	7 सी० 113 के संबंध में।		07 दिन	संयुक्त आवास आयुक्त के पत्रांक 1019/ ल०जोन दिनांक 7.08.2015 के अनुसार आवास आयुक्त, म० ने प्रश्नगत भवन को पुर्नजीवित किये जाने का औचित्य नहीं है का आदेश पारित किया है।	प्रकरण निस्तारित
6.	श्री रामदीन, 19/1279 इन्दिरा नगर, लखनऊ।	मकान नं०-1278 के भू-स्वामी द्वारा अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में		07 दिन	मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल प्राप्त होने पर अनाधिकृत कब्जा हटाया जायेगा।	प्रकरण निस्तारित
7.	श्री आलोक बाजपेई, बी०-1,304 आकाश एनक्लेव, वृन्दावन योजना, लखनऊ।	आकाश एनक्लेव की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में।		07 दिन	मुख्यालय पर गठित समिति द्वारा निस्तारण हेतु कार्यवृत्त निर्गत। समिति द्वारा परिषद नियमों/शर्तों के आलोक में प्रत्यावेदन निस्तारित किये जाने की संस्तुति की गयी।	प्रकरण निस्तारित